**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**।। अधिसूचना ।।**

पटना–15, दिनांक......8.4.......2016

पत्रांक –3 /एम०– 15/2015सा०प्र०....5267../सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के आदेश ज्ञापांक–8/आर0 1–303/84का0–541 दिनांक–11 जनवरी, 1991 द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जाने वाली उपाधियों, यथा–प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार (स्नातक के समकक्ष) को क्रमशः मैट्रीक, आई0ए0 एवं बी0ए0 के समकक्ष कतिपय शर्त्तों के अधीन मान्यता प्रदान की गयी थी।

2. हिन्दी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त "साहित्यालंकार" की उपाधि की मान्यता के संबंध में सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 13343/2011 में दिनांक– 07.05.2012 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल साहित्यालंकार की उपाधि की मान्यता के संबंध में अपना विचार रखा है, बल्कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा निर्गत दिनांक–05.05.1998 के प्रेस नोट के आधार पर स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त सर्टिफिकेट, डिग्री एवं डिप्लोमा की उपाधि को हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट अथवा बी0ए0 के समकक्ष नहीं माना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय की उपर्युक्त न्यायादेश का साहित्यालंकार की उपाधि के साथ–साथ प्रवेशिका एवं साहित्यभूषण की उपाधि के आधार पर प्राप्त नौकरी एवं प्रोन्नति पर पड़ने वाले प्रभाव एवं भविष्य में इसके आधार पर राज्य में सरकारी सेवा में नियुक्ति अथवा प्रोन्नति का प्रश्न सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. शिक्षा विभाग (तत्कालीन मानव संसाधन विभाग) द्वारा बिहार राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु डिग्री/उपाधियों की मान्यता तथा समकक्षता के संबंध में निर्गत आदेश ज्ञापांक क्रमशः 3152 दिनांक–25.08.2008 एवं 1346 दिनांक– 27.08.2008 द्वारा हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार की उपाधियों को प्रारंभिक/माध्यमिक एवं

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन हेतु पूर्व में ही अमान्य घोषित किया जा चुका है।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं सी0डब्लू0जे0सी0नं0– 13343/2011 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित दिनांक–07.05.2012 के समुक्तियों (Observation) एवं न्यायादेश के आलोक में समुचित विचारोपरांत हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों की मान्यता संबंधी विभागीय आदेश ज्ञापांक– 8/आर0 1–303/84का0– 541 दिनांक–11 जनवरी, 1991 को उक्त न्यायादेश की तिथि अर्थात् दिनांक–07.05.2012 से निरस्त किया जाता है। उक्त तिथि से पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों के आधार पर की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या –3 /एम०– 15/2015सा०प्र०.S267../पटना–15, दिनांक 8·4· 2016

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ E-Gazttet कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या –3 /एम०– 15/2015सा०प्र०...S267./पटना–15, दिनांक 8·4 2016

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिपार्ड, वाल्मि, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव